

ई- नीलामी प्रपत्र में द्वितीय संशोधन
*** यह संशोधन अनुबंध का भाग होगा ।**

क्रमांक :- रेत/2015/81

भोपाल, दिनांक - 01.05.2015

कंडिका 2.21 (v)

खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति :-

यदि बोलीकर्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में माइनिंग प्लान अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है तो उसकी ~~अमानत राशि/सुरक्षा राशि~~ में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी । ऐसी स्थिति में नीलाम किये गये समूह की बोली निरस्त करते हुए उसकी पुनः नीलामी की जायेगी । ~~जप्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा । यदि बोलीकर्ता कंडिका (iii) में निर्धारित अवधि में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में ऐसे कारणों से असफल रहता है जो उसके नियंत्रण में न हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रबंध संचालक द्वारा विशेष परिस्थितियों में यथोचित समय वृद्धि की जा सकेगी। उक्त प्रकार से निर्धारित समयावधि में भी यदि बोलीकर्ता पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि/सुरक्षा राशि जप्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा किंतु यदि सिया SEIAA/MOEF द्वारा किन्हीं तकनीकी कारणों के आधार पर पर्यावरण अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को वापस कर दी जाएगी।~~

अनुबंध प्रारूप की कंडिका 4

निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर ~~बोलीकर्ता को किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं हेमगी।~~ ई-नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन की कंडिका 1.5 के प्रावधान लागू होंगे ।

अनुबंध प्रारूप की कंडिका 6

~~उच्चतम बोलीकर्ता को आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर निगम के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा तथा अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पूर्व निम्न ~~राशि/दस्तावेज~~ निर्धारित अवधि में निगम में जमा करना अनिवार्य है। जिन दस्तावेजों की छायाप्रतियां दी जावें उन्हें मूल दस्तावेज दिखाकर स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित/सत्यापित करना होगा :-~~

- (i) आनलाईन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आनलाईन रसीद ।
- (ii) आन लाइन NEFT/RTGS द्वारा अमानत राशि जमा करने की रसीद ।
- (iii) सुरक्षा राशि का मूल डिमांड ड्राफ्ट (अमानत राशि समायोजन उपरांत) सुरक्षा राशि जमा करने का प्रमाण
- (iv) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति

- (v) वाणिज्यिक सर्टीफिकेट क्रमांक (TIN) की प्रति । यह सर्टीफिकेट यदि उपलब्ध न हो तो अनुबंध के उपरांत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन कराकर एक माह में उपलब्ध कराना होगा ।
- (vi) बोलीकर्ता का पिछले तीन माहों का बैंक खाता विवरण
- (vii) परिशिष्ट-2 के अनुसार खदानों के स्थल निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ।
- (viii) परिशिष्ट-3 के अनुसार वचन पत्र ।
- (ix) बोलीकर्ता के कॉस्टीट्यूशन संबंधी दस्तावेज की प्रति ।
 - 1- व्यक्तिगत के लिये – शपथ पत्र (परिशिष्ट-7 में)
 - 2- साझेदारी फर्म – साझेदारी डीड,
 - 3- कंपनी के लिये – मेमोरण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
- (x) वित्तीय वर्ष 2012-13 अथवा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयकर रिटर्न की प्रति ।
- (xi) बोलीकर्ता व्यक्तियों/फर्म/कंपनियों के द्वारा उनके समस्त संचालकों का पूर्ण विवरण यथा- उनके नाम, पते, फोन नं0, मोबाईल नं0, फेक्स नं0 एवं ई-मेल की जानकारी ।

अनुबंध प्रारूप की कंडिका 7

अनुबंध के अंग

- (i) ई-नीलामी सूचना (समाचार पत्रों में)
- (ii) विस्तृत ई-नीलामी सूचना
- (iii) बोलीकर्ताओं को निर्देश
- (iv) टेके की सामान्य शर्तें
- (v) परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7
- (vi) अनुबंध का प्रारूप
- (vii) बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्त कंडिका-6 के अनुसार जमा दस्तावेजों की छायाप्रतियां ।
- (viii) सूचना पत्र/आशय पत्र
- (ix) ई-नीलामी प्रपत्र में किये गये समस्त संशोधन
- (x) ई-नीलामी के संबंध में प्री बिड मीटिंग दिनांक 24.04.2015 में प्राप्त सुझाव/प्रश्न एवं उत्तर